भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4001

दिनांक 24 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

सड़कों पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास

4001. श्री जी. एम. सिद्देश्वरः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सड़कों पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के संबंध में वर्तमान नीति क्या है;
(ख) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद (एनसीपीसीआर) ने बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए व्यापक सुझाव दिए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कोई पत्र जारी किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क): मंत्रालय सड़कों पर रहने वाले बच्चों और कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के पुनर्वास सहित देखभाल और संरक्षण (सीएनसीपी) की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम लागू कर रहा है। स्कीम के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि का समर्थन करते हैं।

(ख) से (ङ): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज (बाल स्वराज पोर्टल-सीआईएसएस) को सड़कों पर रहने वाले बच्चों की वास्तविक समय की निगरानी करने के लिए तैयार किया गया है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इससे संबंधित कानूनी मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2021 की एसएमडब्ल्यूपी(सी) संख्या 6 में सड़कों पर रहने वाले बच्चे जिनकी पहचान बेघर बच्चों के रूप में की गई है, उन बच्चों का डेटा अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास के उचित आदेशों के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष सड़कों पर रहने वाले बच्चों को पेश किया जाता है। एनसीपीसीआर बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव जारी किए हैं । इनमें (i) सड़कों पर रहने वाले बच्चों की पहचान, बचाव और पुनर्वास, (ii) नियमित आधार पर बेघर बच्चों की स्थिति की निगरानी (iii) सड़कों पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा, (iv) सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए अन्य पुनर्वास उपाय जैसे, स्वास्थ्य जांच, परामर्श, शिक्षा, विभिन्न स्कीमों के साथ जोड़ना शामिल हैं ।

इसके अलावा, मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार देखभाल के मानकों का पालन करें । सभी सीसीआई के अनिवार्य निरीक्षण के संबंध में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न परामर्श भेजे गए हैं ।

*****